



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 1 अक्टूबर, 2020

आश्विन 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या 12/2020/952/तीस-4-2020-8(19)-2018 टी0सी0

लखनऊ, 1 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

सा0प0नि0-65

उत्तर प्रदेश शासन के परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 2/2020/576/तीस-4-2020-8(19)-2018 टी0सी0, दिनांक 23 जून, 2020 द्वारा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के असाधारण, विधायी परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित हिन्दी पाठ में 'संशोधन' शीर्षक के अन्तर्गत अंकित 'पूर्वोक्त अधिसूचना में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-' को निम्नानुसार पढ़ा जाय :-

'पूर्वोक्त अधिसूचना में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :-'

आज्ञा से,  
राजेश कुमार सिंह,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 12/2020/952/XXX-4-2020-8(19)-2018 T.C., dated October 1, 2020 for general information :

No. 12/2020/952/XXX-4-2020-8(19)-2018 T.C.

*Dated Lucknow, October 1, 2020*

IN the notification no. 2/2020/576/XXX-4-2020-8(19)-2018 T.C., dated June 23, 2020 of the Transport Section-4, Government of Uttar Pradesh which was published in U. P. Government *Gazette*, a sentence "In the aforesaid notification *after* the second proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely :-" printed under the heading 'Amendment' be read as follows :-

"In the aforesaid notification, in place of the first proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely :-"

By order,  
RAJESH KUMAR SINGH,  
*Pramukh Sachiv.*